



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 अप्रैल 2016—वैशाख 1, शक 1938

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर, ई-अरेरा कालोनी, भोपाल

#### सूचना

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. 1728-वि.यो.पी.ए.-365-नगानि.—एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि हनुवंतिया निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 21 अप्रैल 2016 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:—

1. कार्यालय आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
2. कार्यालय जिला कलेक्टर, खण्डवा, मध्यप्रदेश.
3. कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मूंदी मध्यप्रदेश.
4. कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खण्डवा, मध्यप्रदेश.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों उसे लिखित रूप में प्रदर्शनी स्थल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खण्डवा में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

संदीप यादव, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. एफ-3-39-2016-अठारह-5.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1728-वियोपीए-365, दिनांक 12 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 12<sup>th</sup> April 2016

NOTICE

No. 1728-MPS-PA-365-2016.—Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Hanuvantiya Planning Area has been published on dated 21st April 2016 in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No 23 of 1973), a copy thereof is available during office hours, for inspection at:—

- 1- Office of Commissioner, Indore Division, Indore.
2. Office of Collector, District-Khandwa.
3. Office of Chief Municipal officer Municipal Council, Mundi.
4. Office of Deputy Director , Town & Country Planning , Khandwa.

If there be any objection or suggestion with respect to the said Draft Plan , the same may be submitted in writing to the venue place or Deputy Director, Town & Country Planning, Khandwa before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

SANDEEP YADAV, Commissioner-cum-Director.